CDD-T-2

कार्यालय गन्ना विकास परिषद सम्पूर्णानगर

पत्रांक 321/सी0/निर्माण दिनांक 26-12-2017

निविदा आमंत्रण सूचना (ई–प्रोक्योरमेन्ट सूचना) तृतीय आमंत्रण

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से मंत्री, गन्ना विकास परिषद **सम्पूर्णानर** द्वारा गन्ना विकास विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त राजकीय विभागों में सडक निर्माण कार्यो के 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ग्रामीण मार्गो के निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रतिशत दर पर आनलाईन **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती हैं–

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	लागत लाख रू.में	धरोहर धनराशि लाख रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी + निविदा मूल्य 18%जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री, गन्ना विकास परिषद का पता	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुदृढीकरण/पुनः निर्माण										
1		सुमेरनगर से बिसेनपुरी मार्ग	**2.000**	**34.93**	**3.49**	500+1000+180	एक माह	ग0वि0प0स.नगर	जि0ग0अ0,खीरी	उ0ग0आ0,लखनऊ

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैं:–

1– प्रत्येक कार्य के पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका के कालम 8 में दर्शायी गयी है।

2– निविदा की वैघता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन तक होगी। वैघता की अवधि मे निविदा को वापस नही लिया जायेगा।

3– प्रत्येक निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम नं0 7 के अनुसार अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबिल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए मंत्री, गन्ना विकास परिषद **सम्पूर्णानगर** जनपद लखीमपुर खीरी के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वैबसाइट **http://etender.up.nic.in** से दिनांक 29-12-17 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 03-01-2018 सांय 5:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।

4– निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वैबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वैबसाइट पर यह पंजीकरण कभी भी निशुल्क कराया जा सकता है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही होगा।

5– निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रीबिड बैठक दिनांक 30-12-2017 को जिला गन्ना अधिकारी ..लखीमपुर खीरी के कार्यालय में 12:00 बजे दोपहर आयोजित की जायेगी। जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।

6– ई–टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा सबमिट करने की अन्तिम तिथि 03-01-2018 एवं समय सांय 5:00 बजे तक है। निविदा डालने हेतु वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार निविदादाता द्वारा निविदा सबमिट नियत तिथि एवं समय तक सबमिट की जा सकती है, तथा फाईनेंशियल बिड दिनांक 04-01-2018 को अपरान्ह 02.00 बजे कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद. लखीमपुर खीरी में खोली जायेंगी।

7– निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के कालम सं0 09 एवं 10 में दर्शाये गये किसी भी कार्यालय में दिनांक 04-01-2018 को दोपहर 12.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रेस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता / विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे।

(क)– निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(ख)– धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेन्ट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि मंत्री, गन्ना विकास परिषद .सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नही होगी। अनु. जाति/ज. जाति के पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर धनराशि शा.सं. 3460/23.07.08– 41 एम.एस.ए./54 टी.सी.–।।। अनुभाग–7 दिनांक 28.07.08 के अनुपालन में अनुमानित लागत (कॉलम–5) का 2% ही संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग)– बिड डाक्यूमेन्ट के आई0टी0बी0 के अनुरूप समस्त शपथ पत्र–मूल में।

8– आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई निविदाकर्ता गन्ना विकास विभाग में जहां उनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी का निकट संबंन्धी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) कार्य करने के योग्य नही होंगे। निविदाकर्ता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके संबंधियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जो कि गन्ना विकास विभाग के कार्यालय में कार्यरत हो।

9– आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

10– निविदा से सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग, विशिष्टियां, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद् के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम 09 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11.00 बजे से अपरान्हन 4.00 बजे तक दिनांक 29-12-2017 से दिनांक 03-01-2018 तक देखा जा सकता है।

11–निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि वो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल की जांच करने के साथ–साथ ही निर्माण कार्यो के सवाल भी देख ले, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होने कार्यक्षेत्र, स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र, विशेष विवरणों, संविदा शर्तो आदि से परिचित कर लिया है।

12–कोई भी निविदा कर्ता जिसका आपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित है।

13–ऐसे निविदाकर्ता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नही होंगे)

14–निविदादाता को निविदा की वैद्यता हेतु निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15–निविदादाता को निविदा के साथ निविदाप्रपत्र के 'सेक्शन 3' के अनुसार रू0 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑन लाइन एवं मूल में देना अनिवार्य है।

16–निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेंट निर्धारित प्रपत्र (सीडीडी–टी–4, सीडीडी–टी–5, सीडीडी–टी–6) में प्रत्येक निविदा के साथ सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेंगी।

17– कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

18– शासनादेश सं0 6738/23–07–2006–176(एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्पर्क विभाग उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित किया गया है। किसी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना अन्तिम मानी जायेगी।

19–कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करों की कटौती की जायेगी।

20–कार्य की मात्रायें घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

21–निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों/T.A.C. द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

22–अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

23–शासनादेष संख्या 622/23.12.2012–02 आडिट/08, टी.एस.–02, दिनांक 08.06.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

(क)– 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

(ख)– 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

24–गन्ना आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी अथवा जारी किये जाने वाले निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25–विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

26– निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यो के लिये डिफेक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 2 वर्ष बाद तक की होगी।

27– समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।

28– समस्त दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एवं लाभांश सम्मिलित हैं।

29– ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रॉयल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरों के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

30– निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफें में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई.डी.संख्या (जो आन–लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाईट द्वारा प्रजनित होती है) एवं कार्य का नाम ही अंकित की जायेगी इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नही किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे।

31– निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफें में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई.डी.संख्या (जो आन–लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाईट द्वारा प्रजनित होती है) एवं कार्य का नाम ही अंकित की जायेगी इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नही किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे।

32–आन–लाईन सिस्टम में रूकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिये निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

33–कार्यादेश प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने एवं धन की उपलब्धता के उपरान्त ही जारी किये जायेगें।

अवर अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद,सम्पूर्णानगर

मंत्री,
गन्ना विकास परिषद,सम्पूर्णानगर

कार्यालय गन्ना विकास परिषद,सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी।

पत्रांक 321/वि0 /निर्माण दिनांक 26-12-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, लखीमपुर खीरी।

2– जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

3– अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, परिक्षेत्र.,लखनऊ।

4– संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र.,लखनऊ।

5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,लखीमपुर खीरी .को इस अनुरोध के साथ कि कृपया लो.नि.वि. के अन्य खण्डों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

6– जिला पंचायत,लखीमपुर खीरी

7–उप निदेषक मण्डी.लखीमपुर खीरी।

8–मुख्य अभियन्ता, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

9–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

~~मंत्री~~ मंत्री,
गन्ना विकास परिषद,सम्पूर्णानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by LALLAN SINGH
Date: 2017.12.27 17:16:52 IST
Location: Uttar Pradesh